

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 29.03.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनाहातु, राँची के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण की योजना हेतु कुल 72,51,000/- (बहत्तर लाख एकावन हजार) रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के पत्रांक-5298 दिनांक-30.01.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनाहातु, राँची के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण हेतु अधोलिखित तालिका के अनुरूप कुल 72,51,000/- (बहत्तर लाख एकावन हजार) रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	योजना की विवरणी	स्वीकृत राशि
1	Renovation of Building & Electricity, Septic tank of C.H.C. Sonahatu, Bundu, Ranchi for the year 2025-26.	23,52,900
2	Renovation of Building & Toilet with sanitary work, Electricity and deep boring C.H.C. Sonahatu, Bundu, Ranchi for the year 2025-26.	24,08,600
3	Renovation of Boundary Wall at C.H.C. Sonahatu, Bundu, Ranchi for the year 2025-26.	24,89,500
कुल योग		72,51,000

2. उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के आधार पर कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०-1, राँची द्वारा कराया जाएगा।

3. योजना पर होने वाले व्यय का वहन मुख्यशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-(796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)-48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (20एस-4210-01-110 (796-सहित)-48-01-05-45) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०-1, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रेमिटेन्स शीर्ष-8782, स्थानीय जमा निधि-102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
6. कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक असैनिक एवं अभियन्त्रण मरम्मत कार्य कराने के पूर्व एवं उसके बाद उचित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर उसे सत्यापन हेतु अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।
7. सिविल सर्जन, राँची मरम्मत कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा नियमित रूप से उपायुक्त, राँची को प्रतिवेदित करेंगे।
8. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन राँची कोषागार, राँची से की जाएगी।
9. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य एकरारनामा में उल्लेखित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। एकरारनामा मानक शर्तों पर आधारित होगा तथा निविदा/एकरारनामा शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायगी। दायित्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा।
10. उक्त प्राक्कलन के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन ई-निविदा के माध्यम से निर्माण योजना के कार्यकारी एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। इन कार्यों का दोहरीकरण अन्य योजना के साथ न हो, इसके पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी संबंधित अभियंताओं की होगी।
11. संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व होगा।
13. पर्यवेक्षकीय अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति कार्य स्थल एवं मुख्यालय में रखी जाएगी।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों के अनुरूप कराने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०-1, राँची की होगी। योजना कार्यान्वयन में किसी प्रकार के अनियमितता बरतने की स्थिति में संबंधित अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

81(S) योजना
29.03.2021

Draw
(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव


Lmk
(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

[Signature]
(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

16. संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,



(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक- 81(5)चौदना


राँची, दिनांक: 29.03.2026

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, राँची।
2. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०-1, राँची
4. सिविल सर्जन, राँची।
5. कोषागार पदाधिकारी, राँची।
6. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

81(5)चौदना
29.03.2026